कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ

प्रेषकः– कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्याः– 126/SE/08 दिनाँकः– 27–02–2009	सेवा में, मेसर्स अन्सल हाउसिंग एण्ड कन्स0 3/101,विश्वास खण्ड,गोमतीनगर लखनऊ नत्थी.....

:: विषय ::

अवशेष ई0डब्लू0एस भवनों के निर्माण तथा विक्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 28–07–08,09–09–08 एवं 20–01–09 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सन्दर्भ में आपको सूचित करना है कि कानपुर रोड योजना में पूर्व में आशियाना कालोनी के नाम से भूमि आवंटित थी। आवंटन की शर्तो के अनुसार आप द्वारा बनाये गये ई0डब्लू0एस0 भवनों में अवशेष ई0डब्लू0एस0 भवन सेक्टर–एम–1,कानपुर रोड योजना में 1233 एक मंजिले भवन बनाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 19–02–2009 के अर्न्तगत निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है :–

(1) भवन का विक्रय मूल्य रू0–2.00 लाख से अधिक नहीं होगा।

(2) भवन का निर्माण ई0डब्लू0एस0 के अनुसार होगा, जिसमें 30 वर्गमीटर से कम भूमि नहीं होगी एवं इसमें कम से कम एक कमरा,किचन, लेट्रिन,बाथरूम होगा। भवन निर्माण का स्पेशीफिकेशन प्राधिकरण के मानक के अनुरूप होगा।

(3) भवन के निर्माण की जॉच(क्वालिटी) प्राधिकरण द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है।

(4) भवन का निर्माण एवं आवंटन मैसर्स अन्सल हाउसिंग एण्ड कन्स0 द्वारा किया जायेगा, लेकिन इसका विक्रय–विलेख प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

(5) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत विक्रय व्यय के रूप में लिया जायेगा।यह धनराशि पत्र निर्गत होने के तीन महीने के पश्चात 06 तिमाही किश्तों में देय होगी।

भवदीय,

(एस0एन0 त्रिपाठी)
कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि:
1–उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2–सचिव महोदय को सूचनार्थ।

(एस0एन0 त्रिपाठी)
कार्यवाहक मुख्य अभियन्ता

मेसर्स असंल हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ आशियाना कालोनी के (सेक्टर–के, के–1, एम, एम–1, एन, एन–1 एवं जे) की सड़क, ड्रेन हस्तान्तरण व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आज दिनांक 26.4.2018 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. श्री आर0डी0 राय, अधिशासी अभियन्ता जोन–2
2. श्री डी0एम0 कटियार, संयुक्त सचिव
3. श्री करून असंल, प्रेसीडेन्ट प्रोजेक्ट, मेसर्स असंल हाउसिंग एण्ड कान्ट्रक्शन लि0
4. श्री अमिर जमाल, लीगल हेड, मेसर्स असंल हाउसिंग एण्ड कान्ट्रक्शन लि0
5. श्री सुनील तनेजा, सीनियर जी0एम0, मेसर्स असंल हाउसिंग एण्ड कान्ट्रक्शन लि0
6. श्री मशहर नियाजी, मैनेजर लीगल सेल, मेसर्स असंल हाउसिंग एण्ड कान्ट्रक्शन लि0
7. श्री के0बी0 पाण्डेय, प्रतिनिधि, मेसर्स असंल हाउसिंग एण्ड कान्ट्रक्शन लि0

उपरोक्त अधिकारियों के मध्य हुई बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई चर्चा में निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मेसर्स असंल हाउसिंग एण्ड कान्ट्रक्शन लि0 के मध्य हुए निष्पादित अनुबन्ध की धारा–1 के पैरा 1.5 में यह स्पष्ट उल्लेख है किः–

> 1.5. As a part of internal development the Builder will also provide basic amenities to be provided to the villages falling in the above sectors.

एवं धारा–19 के पैरा 19.1 व 19.2 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि :–

> 19.1. Before issue of completion certificate by LDA, the builder shall hand over internal services to the respective departments, with the assistance of LDA.
>
> 19.2. Till the time of handing over of services to the respective departments, the maintenance thereof shall be done by the builder at his own cost.

उपरोक्त अनुबन्ध के अनुसार मेसर्स असंल हाउसिंग एण्ड कान्ट्रक्शन लि0 द्वारा न तो विकास कार्य पूर्ण किया गया है और न ही नगर निगम को कालोनी हस्तान्तरित की गयी है। इस प्रकार अनुबन्ध की शर्तो का पूर्णतः पालन नही किया है।

वार्ता उपरान्त यह तय हुआ कि मेसर्स असंल एवं नगर निगम मिलकर सर्वे का कार्य तत्काल पूर्ण करायें। यदि उक्त कार्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण स्तर के किसी अधिकारी/कर्मचारी सहयोग की आवश्यकता होगी, तो अधिशासी अभियन्ता जोन–2 द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा। उक्त सर्वे का कार्य एवं मेसर्स असंल द्वारा विकास कार्य तत्काल कराकर उक्त सेक्टरों को नगर निगम को हस्तान्तरित किया जायेगा।

1. आशियाना कानपुर रोड योजना के सेक्टर–एम–1 में पूर्व से निर्मित 120 भवनों के आवंटन की कार्यवाही मेसर्स असंल हाउसिंग एण्ड कान्ट्रक्शन लि0 द्वारा तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर दी जाती है।

2. मेसर्स असंल द्वारा जो पचे 522 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसका अनुमानित विक्रय मूल्य रू0–7,64,000/– प्रति भवन निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार पंजीकरण का विज्ञापन कराने से पूर्व पंजीकरण पुस्तिका/ब्रोसर लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही पंजीकरण का विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। अतः उक्त लागत रू0–7,64,000/– अनुमोदित की जाती है, परन्तु उपरोक्त धनराशि आवंटी से मे0 असंल द्वारा तब तक वसूल नहीं की जायेगी, जब तक आशियाना कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं कर दी जाती है।

3. मेसर्स असंल द्वारा पूर्व में 591 भवनों का आवंटन किया गया है, उनकी रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त 591 ई0डब्लू0एस0 भवनों की रजिस्ट्री को छोड़कर शेष सम्पत्तियों की रजिस्ट्री नगर निगम को कालोनी हस्तान्तरण के उपरान्त ही की जायेगी।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर निर्णय/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(डी0एम0 कटियार)
संयुक्त सचिव

2/5/15
(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष